



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8800

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 16518 वर्ष 2025

विवेक कुमार गुप्ताआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : ऋषभ अग्रवाल, विनोद कुमार यादव विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : भावेश प्रताप सिंह, शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है। सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हैं।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषभ अग्रवाल, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राम मोहित यादव को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या 838 वर्ष 2024, धारा 103(1) B.N.S., 2023, थाना कोतवाली, जिला मैनपुरी में, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत की मांग की है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है। उसे केवल इस आधार पर अभियुक्त बनाया गया है कि वह मृतक व्यक्ति के साथ उसके घर से गया था। आवेदक के विरुद्ध एकमात्र साक्ष्य यह है कि उसे दिनांक 26.12.2024 को लगभग शाम 7:00 बजे शराब की दुकान पर देखा गया था, किंतु मृतक शाम 8:00 बजे पुनः शराब की दुकान पर लौटा था और उस समय आवेदक उसके साथ नहीं था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मृतक की मृत्यु उसके बाद हुई, अतः यह झूठे फंसाने का स्पष्ट मामला है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि सीसीटीवी फुटेज से भी यह नहीं पता चलता कि आवेदक की पहचान किसने की। UPI लेनदेन भी असत्य प्रतीत होते हैं क्योंकि मृतक के मोबाइल से राज सक्सेना के मोबाइल पर UPI के माध्यम से 73,000 रुपये अंतरित किए जाने की बात कही गई है और उसने बदले में नकद राशि देने की बात कही गई है, जो किसी कर्मचारी के लिए अपनी जेब में इतनी नकदी रखना संभव नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 05.01.2025 से जेल में बंद है और वह विचारण में सहयोग करने के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का इस आधार पर बलपूर्वक विरोध किया है कि आवेदक सीसीटीवी फुटेज में पहचाना गया है और आवेदक के निशानदेही पर शव बरामदगी के स्थान के पास एक परित्यक्त कुएं से मृतक व्यक्ति का आधार कार्ड और फोटो बरामद हुए हैं, अतः वह जमानत पाने का अधिकारी नहीं है।
7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों, अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य पर विचार करते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और उसके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है तथा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और मामले के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय प्रथम दृष्टया यह मत है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
8. आवेदक विवेक कुमार गुप्ता, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उसी राशि में दो प्रतिभूतियां संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। आगे, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं। (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल) 13 जनवरी, 2026 (रवि कांत)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"